

पटवारी रिपोर्ट
 श्रीमान जी मुताबिक ग्राम खापरी की डांग के खाता संख्या 75 में रामपाल पुत्र पांचू दर्ज है जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड में रामपाल सिंह पुत्र पांचू दर्ज है। अतः प्रार्थी का नाम रामपाल सिंह पुत्र पांचू किया जाना उचित होगा।
 विगत 11/10/25
 रामपाल 10/10/25
 प. ए. राजेश्वरी

भू अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट
 श्रीमान जी, मुताबिक खापरी डांग की कोटा के स्टाफ के किट्टी के प्रार्थी द्वारा आवेदन किट्टी रामपाल सिंह पुत्र पांचू का खाता उचित है।
 10/11

तहसीलदार की रिपोर्ट
 प. ए. की रिपोर्ट व भू. अ. नि. की जांच के आधार पर दुरुस्ती की जाने की अभिशप्ता की जाती है।
 शिवाजी
 तहसीलदार (भू. अ.) नसीराबाद

2025
 781
 क्रमांक / 444

प्रभारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025"

दिनांक:- 17-10-25

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एवं इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू-अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंसा अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खापरी की डांग तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्वत् 2071/24 के खाता संख्या 75 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्र.सं.	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
1)	रामपाल पुत्र पांचू शेष 04/22	उपरोक्त वक्ति खा. सि. के अनुसार		रामपाल सिंह पुत्र पांचू शेष 04/22	उपरोक्त वक्ति खा. सि. के अनुसार	



संख्या:- 5999-5800

दिनांक:- 17-10-25

प्रतिक्रिया:- 1) तहसीलदार नसीराबाद को पत्र
 2) आदेश पत्र।

प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी
 नसीराबाद, जिला अजमेर